सं. एन-38032/39/2022-एफएम/658,659

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

(एफएम सेल)

****

दिनांकः 30 नवम्बर, 2022

<u>एडवाइजरी</u>

जबकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ एफएम रेडियो चैनल शराब/ड्रग्स/हथियार/गैंगस्टर/बंदूक संस्कृति आदि का महिमामंडन करने वाले गाने/प्रसारण सामग्री चला रहे हैं।

जबकि माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने न्यायिक नोट किया है कि ऐसी सामग्री प्रभावित होने वाली उम्र के बच्चों को प्रभावित करती है। इसके अलावा, यह गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देती है।

जबकि जीओपीए के खंड 11.1 (एमजीओपीए का खंड 10.1) में प्रावधान है कि अनुमतिधारक, आकाशवाणी द्वारा पालन की जाने वाली समय-समय पर यथा संशोधित कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता या कोई अन्य लागू संहिता, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर निर्धारित करे, का पालन करेगा।

जबकि ऐसे गीतों/सामग्री का प्रसारण आकाशवाणी कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन है।

जबकि जीओपीए के खंड 25.3 (एमजीओपीए का खंड 24.3) में प्रावधान है कि, अनुमति धारक द्वारा अनुमति के किसी भी निबंधनों और शर्तों या एफएम रेडियो नीति के किसी अन्य प्रावधान का उल्लंघन करने की स्थिति में, प्रदाता को अनुमति के निलंबन और प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने, जैसाकि उसमें निर्धारित है, का अधिकार होगा।

इसलिए, अब सूचना और प्रसारण मंत्रालय, एतदद्वारा जीओपीए/एमजीओपीए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सभी एफएम रेडियो चैनलों को उसमें निर्धारित निबंधनों और शर्तों का सख्ती से पालन करने और उसका उल्लंघन करने वाली किसी भी सामग्री को प्रसारित नहीं करने की सलाह देता है। किसी भी उल्लंघन के लिए जीओपीए/एमजीओपीए में निर्धारित निबंधनों और शर्तों के अनुसार उचित समझी जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

योगेन्द्र त्रेहन

(योगेंद्र त्रेहन)

अपर निदेशक

सभी एफएम रेडियो चैनल।

प्रतिलिपि : -

श्री उदय चावला, महासचिव,

एसोसिएशन ऑफ रेडियो ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया (एआरओआई),

प्लॉट नंबर -29, पॉकेट नंबर 4, सेक्टर -23 बी, द्वारका, नई दिल्ली-110077